वी. वेंकट प्रसाद और अन्य

बनाम

ए. पी. उच्च न्यायालय और अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 6105)

29 जून, 2016

[दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति सिंह, न्यायाधिपतिगण]

न्यायपालिका-वरिष्ठता-फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा दावा-तथ्यों पर, अपीलार्थियों को राज्य न्यायिक सेवा में जिला मुन्सिफों के तौर पर नियुक्त किया गया और नियत समय पर उप-न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया-बाद में उनके नामों की जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई- अपीलकर्ताओं द्वारा उप-न्यायाधीशों के रूप में कार्य करते समय, सरकार ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में स्थापित किए जाने वाले 86 अतिरिक्त पद मंजूर किए- शुरू में उच्च न्यायालय ने 41 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों और 3 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के न्यायालयों को मंजूरी दी। स्थानांतरण द्वारा ग्रेड II जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में स्वीकृति – अपीलार्थियो को फास्ट ट्रैक न्यायालय में रिक्तियों के विरुद्ध डी. एस. जे. ग्रेड II के रूप में नियुक्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया- उत्तरदाता प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा डी. एस. जे. जी. आर. II के रूप में नियुक्त किये गये – उत्तरदाता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग से स्थानांतरण के माध्यम से पदोन्नत डी. एस. जे. पर वरिष्ठता का दावा कर रहे हैं – अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई-अपीलकर्ताओं की तुलना में उत्तरदाताओं की वरिष्ठता ऊपर तय की गई- उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा गया -अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः फास्ट ट्रैक अदालतों के संबंध में नियुक्तियां तदर्थ

प्रकृति की होती हैं- ऐसी नियुक्ति के आधार पर नियमित पदोन्नति के लिए निचली न्यायपालिका से तदर्थ आधार पर पदोन्नत/तैनात ऐसी भर्तियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। -एफ. टी. सी. न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियमित नियुक्ति नियमों को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के एक अलग समूह के तहत की गई थी -फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना की शुरुआत के कारण और 2001 के नियमों के तहत अपीलार्थियों को पदोन्नत किया गया था-वे एक योजना के लाभार्थी थे - योजना के तहत पद पर बने रहने के दौरान, संवर्ग में नियमित पद खाली हो गए और उन्हें नियमित किया गया लेकिन उससे पहले; अपने कोटे में महत्वपूर्ण पद के संदर्भ में उत्तरदाताओं को सीधे भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था- अपीलकर्ताओं को इस विशिष्टता को स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए था- तदर्थ नियुक्तियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा विशेष नियम, 2001।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 बृज मोहनलाल-1 और बृज मोहनलाल-2 के मामले से यह स्पष्ट है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों के संबंध में नियुक्तियां तदर्थ प्रकृति की होती हैं और निचली न्यायपालिका से तदर्थ आधार पर पदोन्नत/तैनात ऐसी नियुक्ति के आधार पर नियमित पदोन्नति के लिए ऐसी भर्तियों को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। एफ. टी. सी. न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियमित नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के एक अलग समूह के तहत की गई थी। [पैरा 19] [849-ई]

1.2 2001 के नियम तदर्थ नियुक्तियों के लिए विशिष्ट नियम हैं। जैसा कि तथ्य स्थिति उजागर होगी, नियमित संवर्ग में छह रिक्तियां थीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना होने के कारण, तदर्थ आधार पर अवसर उपलब्ध हो गये। बृज मोहनलाल- । और बृज

मोहनलाल-II की परिस्थितियाँ इसे बिल्कुल स्पष्ट करती हैं। अपीलार्थियों का निवेदन है कि उन्हें 1958 के नियमों के तहत नियुक्त किया गया था जैसा कि नियुक्ति पत्र से दर्शित होता है और पूरी बात नियुक्ति पत्र पर निर्भर करेगी न कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पर; और यदि किसी उम्मीदवार को किसी रिक्ति के संबंध में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती से वरिष्ठ माना जाएगा। दोनों प्रस्तुतियाँ, जैसा कि यह माना जाता है, आपस में बुनी हुई है लेकिन उसी का एकवचन उत्तर "मौलिक रूप से गलत" होगा। [पैरा 22] [850-एफ-जी; 851-बी सी]

1.3 ओ. पी. सिंगला के मामले में बताया गया यह सिद्धांत कि इस मामले में वरिष्ठता सूची में उनकी नियुक्ति में एक ओर सीधी भर्तियों और दूसरी ओर सेवा में नियुक्त पदोन्नति के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है अपीलार्थियों के वकील की सहायता नहीं करती है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अपीलार्थी मूल रिक्तियों पर नियुक्त नहीं किये गये थे। ओ. पी. सिंगला के मामले में बहुमत की राय में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिस पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने देबब्रत डैश मामले में भरोसा जताया है। जो अपीलार्थी नियुक्ति पत्र को नजरअंदाज करते हुए केवल पत्र में उपयोग किए गए शब्दों के आधार पर संरचना के इच्छुक हैं, वे अनावश्यक क्षीण आशा के दायरे में रहने के लिये बाध्य हैं। उनकी पदोन्नति फास्ट ट्रैक योजना की शुरुआत के कारण और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए 2001 के नियमों के तहत हुई। वे एक योजना के लाभार्थी थे। योजना के तहत पद पर बने रहने के दौरान, संवर्ग में नियमित पद खाली हो गए और उन्हें नियमित कर दिया गया, लेकिन इससे पहले, उत्तरदाताओं को उनके कोटे में मूल पदों के संबंध में प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को विभेद स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए था। लेकिन पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर-विवाद एक निरंतर मामला प्रतीत होता है। [पैरा 30] [854-एफ-एच; 855-ए-सी]

बॉम्बे आयुक्त बनाम गोवर्धनदास भंजी (1952) एससीआर 135; एम. एस. गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 1978 (2) एससीआर 272: (1978) 1 एससीसी 405; डी. आर. निम बनाम भारत संघ (1967) 2 एस. सी. आर. 325; रुद्र कुमार सैन बनाम भारत संघ 2000 (2) पूरक एससीआर 573: (2000) 8 एस. सी. सी. 25; वी. भास्कर राव और अन्य बनाम ए. पी. राज्य और अन्य। 1993 (2) एससीआर 547: (1993) 3 एससीसी 307; सीधी भर्ती वर्ग ॥ इंजीनियरिंग अधिकारी एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1990 (2) एससीआर 900: (1990) 2 एस. सी. सी. 715; * * * * * देबब्रत दास बनाम जतिन्द्र प्रसाद दास 2013 (2) एससीआर 331: (2013) 3 एस. सी. सी. 658; * * बृज मोहनलाल-द्वितीय बनाम। भारत संघ 2012 (5) एस. सी. आर. 305: (2012) 6 एस. सी. सी. 502; * बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ-I 2002 (3) एससीआर 810: (2002) 5 एस. सी. सी. 1; अखिल भारतीय न्यायाधीशों का संगठन बनाम भारत संघ 2002 (2) एससीआर 712 : (2002) 4 एस. सी. सी. 247; पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 578; अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1991 (2) पूरक। एससीआर 206: (1992) 1 एस. सी. सी. 119; अखिल भारतीय न्यायाधीशों का संगठन। वी. भारत संघ 1993 (1) पूरक एससीआर 749: (1993) 4 एस. सी. सी. 288; ओ. पी. सिंगला वी. भारत संघ 1985 (1) एससीआर 351: (1984) 4 एस. सी. सी. 450; पश्चिम बंगाल राज्य। वी. अघोर नाथ डे 1993 (2) एस. सी. आर. 919: (1993) 3 एस. सी. सी. 371; हरियाणा राज्य बनाम विजय सिंह 2012 (10) एससीआर 356: (2012) 8 एससीसी 633- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1952) एससीआर 135	संदर्भित किया गया	पैरा 11
1978 (2) एससीआर 272	संदर्भित किया गया	पैरा 11

(1967) 2 एससीआर 325	संदर्भित किया गया	पैरा 12
2000 (2) पूरक एस. सी. आर. 573	संदर्भित किया गया	पैरा 12
1993 (2) एससीआर 547	संदर्भित किया गया	पैरा 12
1990 (2) एससीआर 900	संदर्भित किया गया	पैरा 12
2002 (2) एससीआर 712	संदर्भित किया गया	पैरा 15
(2002) 4 एस. सी. सी. 578	संदर्भित किया गया	पैरा 15
1991 (2) पूरक। एससीआर 206	संदर्भित किया गया	पैरा 15
1993 (1) पूरक। एससीआर 749	संदर्भित किया गया	पैरा 15
2012 (5) एससीआर 305	संदर्भित किया गया	पैरा 19,22
2002 (3) एससीआर 810	संदर्भित किया गया	पैरा 19,22
1993 (2) एससीआर 919	संदर्भित किया गया	पैरा 27
2012 (10) एससीआर 356	संदर्भित किया गया	पैरा 28
2013 (2) एससीआर 331	संदर्भित किया गया	पैरा 30

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6105/2013

2008 की रिट याचिका संख्या 23902 में उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, खंडपीठ हैदराबाद के 16.12.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

पी. पी. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. वी. आर. चौधरी, सुश्री अनन्या सरकार, स्वर्णेंदु चटर्जी, के. शिवराज चौधरी, ए. चंद्र कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

मोहन परासरन, गुरु कृष्णकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता , अंशुमन अशोक, अमित पाई, अरिवल शुक्ला, निर्मल अम्बाबस्ता, अश्विन कुमार, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, लव कुमार, वाई. राजा गोपाल राव, हिन्द्र नाथ रथ, संदीप सिंह, के. शरत कुमार, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति

1. अपीलार्थियों को वर्ष 1985-1987 में ए. पी. लोक सेवा आयोग के माध्यम से आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा में जिला मुन्सिफ नियुक्त किया गया था और नियत समय में उप-न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया। बाद में ए. पी. के उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पत्र दिनांकित 23.4.200 के माध्यम से जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के लिए उनके नामों की सिफारिश की गई।और उक्त सिफारिशों को सरकार द्वारा जी.ओ.एम. सं. 64 (एल. ए. एंड जे.) (एस. सी. एफ.) विभाग दिनांक 4.5.2002 में अनुमोदित किया गया था। उनकी अस्थायी नियुक्तियों को उक्त संवर्ग में जी.ओ.आर्टी. सं. 542 दिनांकित 4.5.2002 में अधिसूचित किया गया था।

2. जबकि अपीलार्थी उप-न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे थे, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में 86 अतिरिक्त पदों की स्थापना को मंजूरी दी। प्रारंभ में, ए. पी. उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने 1.4.2001 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए 41 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों और तीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सह-सहायक सत्र न्यायालय की नियुक्तियों के लिए सिफारिश की थी। आवास की कमी के कारण शेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव फलीभूत नहीं हो सका। महापंजीयक द्वारा किए गए संचार के आधार पर, सरकार ने विशिष्ट स्टाफिंग पैटर्न के साथ 44 अतिरिक्त अदालतों को मंजूरी दी। यह कहा जाए, 41 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों को मंजूरी दी गई थी और तीन अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के न्यायालयों को मंजूरी दी गई।

3. पदों को मंजूरी दिए जाने के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा तदर्थ नियुक्तियों के लिए विशेष नियम, 2001 (संक्षेप में, '2001 नियम') बनाए गए थे जो 1.3.2001 से लागू हुए थे। 2001 के नियम 1 सेवा के गठन से संबंधित है जो यह

निर्धारित करता है कि इसमें तदर्थ नियुक्ति पर जिला और सत्र न्यायाधीश शामिल होंगे। 2001 के नियम का नियम 2 नियुक्ति से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः

"नियुक्तिः

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष नियम उच्च न्यायिक सेवा 1958 में कुछ भी निहित होने के बावजूद , तदर्थ आधार पर जिला और सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगीः

(i) बार के सदस्यों से सीधी भर्ती द्वारा;

(ii) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के बीच स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति राज्य न्यायिक सेवा;

(iii) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति द्वारा बशर्ते कि तदर्थ पदों की कुल संख्या का 33 1/3% सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

1. तदर्थ पदों की कुल संख्या के 33 1/3 प्रतिशत के निर्धारण में, आधे से अधिक अंश को एक के रूप में गिना जाएगा और अन्य अनुरेखणों की उपेक्षा की जाएगी।

2. नियम 2 (ii) के तहत नियुक्तियां योग्यता और क्षमता के आधार पर होंगी, वरिष्ठता पर तभी विचार किया जाएगा जब योग्यता और क्षमता लगभग बराबर हों।

3. नियम 2 (iii) के तहत नियुक्तियां दक्षता, क्षमता और योग्यता के आधार पर की जाएंगी।

4. नियम 2 के तहत समय-समय पर की जाने वाली सभी नियुक्तियां 31.03.2005 पर समाप्त हो जायेंगी।"

2001 नियम का नियम 6 वरिष्ठता से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः

"वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों से लेकर जिला और सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में पदोन्नति पाने वालों की अंतर-वरिष्ठता नियुक्ति के समय वरिष्ठता तय की गई वरिष्ठता के आधार पर होगी।"

2001 के नियम 7 में नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। 2001 के नियम 7 के उप-नियम 2 में प्रावधान है कि नियम 2 (1) के तहत नियुक्त व्यक्ति 1958 के नियमों के नियम 2 के तहत आने वाले स्थायी संवर्ग के सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा और इस सेवा या किसी अन्य सेवा में किसी अन्य नियुक्ति के लिये किसी भी वरीयता के हकदार नहीं होंगे और उनकी सेवा को राज्य सरकार के तहत नियमित या स्थायी नहीं माना जाएगा और न ही 1958 के नियमों या आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम, 1962 के तहत आने वाले पद पर नियुक्ति के लिए कोई बाधा होगी।

4. पदों को मंजूरी दिए जाने के बाद, सतर्कता पंजीयक ने स्थानांतरण द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश ग्रेड II की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सूचित किया। पत्र में 36 नामों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1958 के नियमों के नियम 3 के तहत ग्रेड II में नियुक्ति (जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड II) को आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के बीच से स्थानांतरण द्वारा प्रभावी किया जाएगा। संबंधित संचार में आगे कहा गया हैः

"इस संबंध में, मुझे यह बताना है कि वर्तमान में जिला और सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में 6 रिक्तियां हैं और 30.04.2002 के अपरान्ह को श्री के. महालक्ष्मी राव, जिला और सत्र न्यायाधीश,

अनंतपुर की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप एक और रिक्ति भी उत्पन्न होंगी और जिला और सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में और 24 फास्ट ट्रैक न्यायालय भी खाली हैं। इस प्रकार जिला और सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में 31 रिक्तियां हैं।"

5. आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 4.5.2002 के आदेश के माध्यम से स्थानांतरण द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड II के रूप में नियुक्ति के लिए 36 नामों को मंजूरी दी। राज्य द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.6.2002 के आदेश के माध्यम से नियुक्ति आदेश जारी किए। अपीलार्थी सं 1 से 5 को अस्थायी रूप से फास्ट ट्रैक अदालतों में रिक्तियों के विरुद्ध तैनात किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी सं। 6 और 7 को अस्थायी रूप से फास्ट ट्रैक अदालतों में रिक्तियों के खिलाफ तैनात किया गया था। उपरोक्त कथन दर्शाता है कि अपीलार्थी किस प्रकार पद धारण करने के लिए आए थे।

6. प्रत्यर्थी सं। 3 से 7 को जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड II के रूप में जी.ओ.एम. सं. 108 (एलए एंड जे) (एससी-एफ) विभाग दिनांक 4.8.2002 के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के आदेश 3.1.2003 को जारी किए गए थे और उन्हें न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने पर, आरओसी सं. 73/2003 बी. विशेष के माध्यम से दिनांक 3.1.2003 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए और तदनुसार उन्होंने जनवरी, 2003 में अपने-अपने तैनाती स्थानों पर जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड-II के रूप में कार्यभार संभाला। जैसा कि तथ्यों से पता चलता है, जो इसमें पहला प्रत्यर्थी था , उक्त प्रत्यर्थियों ने 13.11.2003 को उच्च न्यायालय को दीवानी न्यायाधशों के ऊपर जिला और सत्र न्यायाधीशों को वरिष्ठ संवर्ग से स्थानांतरण के माध्यम से पदोन्नत वरिष्ठता तय करने के लिये एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने आरओसी संख्या 207/04-

बी. विशेष दिनांक 24.2.2004 के माध्यम से एक श्री मोहन गांधी जिनका नाम क्रम संख्या में था, के बाद उनकी वरिष्ठता तय करने वाली वरिष्ठता सूची को सूचित किया। । अंतिम वरिष्ठता सूची जी.ओ.आर्टी सं.1748 (एल. ए. एंड जे. एस. सी. एफ.) विभाग दिनांक 18.9.2008 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

7. इस मोड पर थोडा विषयांतर आवश्यक है। उच्च न्यायालय द्वारा वरीयता सूची तैयार करने के बाद, आपत्तियां प्राप्त हुई और तत्पश्चात तीन न्यायाधीशों की एक उप-समिति का गठन किया गया जिसने आपत्तियों पर विचार किया और पाया कि 30.4.2002 को छह नियमित रिक्तियां जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड ॥ के रूप में और एक रिक्ति श्री के. महालक्ष्मी राव, जिला और सत्र न्यायाधीश, अनंतपुर की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पान होनी थी। समिति ने उन पदधारियों के बारे में एक अंतर किया जो उस पद पर तैनात किए गए थे जिसे 4.5.2002 दिनांकित पत्र के माध्यम से सृजित किया गया था। उप-समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "एफ) 2001 के तदर्थ नियमों के प्रावधानों के सही और निष्पक्ष निर्माण पर, यह निष्कर्ष अटूट है कि एफ. टी. सी. को संचालित करने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीशों के तदर्थ पद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायिक सेवाओं के संवर्ग के बाहर सीधे पद हैं। ये पद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायिक सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं और न ही इसके अंतर्गत आते हैं। पदों और नियुक्तियों का निश्चित कार्यकाल, नियम 7 (3) के तहत विनिर्देशन कि नियम 2 (ii) के तहत जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त व्यक्ति जिला और सत्र न्यायाधीश ग्रेड ॥ के लिए अनुमेय वेतन और भत्तों के पात्र होंगे और एफ. टी. सी. की योजना को उन नियमों के शीर्षक के अलावा तदर्थ आधार पर वित्त

पोषित किया जा रहा है जो तदर्थ एफ. टी. सी. की योजना की प्रकृति को कम से कम इन पदों के लिए निर्दिष्ट करते हैं।

जी) 2001 तदर्थ नियम 5.3.2002 से लागू हुए। उस दिन जिला और सत्र न्यायाधीश एफ. टी. सी. के 24 पद खाली थे। रजिस्ट्री को ए. पी. राज्य न्यायिक सेवा (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश) के सदस्यों के बीच स्थानांतरण द्वारा और 2001 के तदर्थ नियमों के नियम 2 (ii) के तहत इन रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का प्रस्ताव करना चाहिए था। हालाँकि, गलती से, इसने सरकार को एक डी. ओ. पत्र दिनांक 23.04.2002 को संबोधित किया जिसमें 30 सिविल वरिष्ठ न्यायाधीशों को अस्थायी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रेड II नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया था। यह पत्र स्पष्ट रूप से सांख्यिकीय स्थिति दर्शाता है अर्थात्, कि जिला और सत्र न्यायाधीश ग्रेड II (आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के भीतर) की श्रेणी में छह नियमित रिक्तियां हैं साथ में एक और रिक्ति श्री के. महालक्ष्मी राव, जिला और सत्र न्यायाधीश, अनंतपुर की 30.04.2002 अपरान्ह में सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होगी। डी.ओ. पत्र दिनांक 23.04.2002 द्वारा राज्य को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया कि सभी 31 रिक्तियों में जिला और सत्र न्यायाधीश के संवर्ग में 24 एफ. टी. सी. खाली थे। अंत में, पत्र ने सरकार को पैनल मंजूरी देने और जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड II के रूप में प्रस्तावित 30 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की प्रारंभिक अस्थायी नियुक्तियों को स्थानांतरण द्वारा अधिसूचित करने के लिए संबोधित किया। निर्धारित 31 रिक्तियों के खिलाफ 30 पदों के लिए प्रस्ताव किया गया था, क्योंकि पहले एक

श्री के. डेविड विल्सन के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड II के रूप में अस्थायी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार ने कानूनी स्थिति से समान रूप से अनजान रहते हुए एपी राज्य उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग के भीतर के पदों और और एफटीसी धारा में तदर्थ पदों में नियुक्तियों के बीच अनिवार्य अंतर निर्धारित किए बिना न्यायाधीश श्री सी. वाचस्पति से लेकर श्री डी. प्रभाकर राव तक 36 वरिष्ठ सिविल अधिकारियों को स्थानांतरण द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश ग्रेड II के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी देते हुए जी. ओ. एम. संख्या 64 को जारी कर दिया।

x x x x x x x x x

"जे) उच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार, 30 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों और जिला और सत्र न्यायाधीश ग्रेड-II न्यायाधीशों की प्रारंभिक अस्थायी नियुक्तियों के लिए जी. ओ. आर. टी. संख्या 542 दिनांक 04.05.2002 में आदेश जारी किए गए थे। और 24 एफ. टी. सी. रिक्त थे। इन परिस्थितियों में सर्वश्री सी. वी. वाचियास्पथी से लेकर जी. मोहन गांधी (जी. ओ. आर. टी. संख्या 542 में क्रम संख्या 1 से 6) को आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में संवर्ग रिक्तियों के लिए नियुक्त किया गया था। अन्य 24 अधिकारियों सर्वश्री ई राधाकृष्ण से लेकर टी पठभी रामाराव को उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 654 बी. विशेष दिनांकित 14.06.2000 में एफ.टी.सी रिक्तियों पदस्थापित कर दिया।

के.) जी. ओ. आर. टी. संख्या 1192 दिनांक 3.08.2002 में शेष 6 अधिकारियों सर्वश्री जी. चक्रधर राव से डी. प्रभकर राव को स्थानांतरण द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश ग्रेड II के रूप में प्रारंभिक अस्थायी नियुक्तियां जारी की गईं। इस तारीख तक आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में 4 कैडर रिक्तियां और 2 एफटीसी रिक्तियां वास्तविक रूप से खाली थीं। इसलिए एफटीसी में काम करने वाले के सावश्री ई राधाकृष्ण, एल. रवि बाबू, एम. ए. शरीफ और वी. वेंकट प्रसाद 4 अधिकारी कैडर रिक्तियों में काम करने वाले पद थे और जी. ओ. आर. टी. संख्या 1192 में निर्दिष्ट 6 अधिकारी उच्च न्यायालय संख्या 855 बी-स्पेशल दिनांकित 08.08.2002 की अधिसूचना द्वारा उपलब्ध एफ. टी. सी. रिक्तियों पर तैनात किये गये थे।

एल). 04.01.2003 के बाद प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों (श्रीमति टी रजनी और चार अन्य) को नियुक्ति आदेश दिए गए। इस समय तीन कैडर रिक्तियां और दो एफटीसी रिक्तियां उपलब्ध थीं। इसलिए कैडर रिक्तियों में काम करने वाले श्री एम ए शरीफ और श्री वी वेंकट प्रसाद को एफटीसी रिक्तियों पर तैनात किया गया था और पांच सीधी भर्ती करने वालों को संवर्ग रिक्तियों में नियुक्ति आदेश दिए गए थे।

एम.) पाँच प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठता की गणना 21.08.2002 की नियुक्ति के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट की गई तारीख से की जाएगी।"

8. उपरोक्त रिपोर्ट को उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और एक अंतिम वरिष्ठता सूची 18.9.2008 को प्रकाशित की गई थी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 तक के नाम अपीलार्थियों से ऊपर दिखाये गये थे।

9. अंतिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद, इसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए चुनौती दी गई थी और नियम की स्थिति का विश्लेषण करने वाली खंड पीठ ने माना कि उन्हें सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर वरिष्ठता का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। न्यायालय उक्त निष्कर्ष पर पहुँचा कि सिविल न्यायाधीशों से जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड-II के संवर्ग में पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल उस तारीख से ऐसा दावा कर सकते हैं जब उन्हें नियमित रूप से संवर्ग रिक्तियों में नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्हें केवल उक्त रिक्तियों में नियुक्त किया जा सकता था जब रिक्तियां उत्पन्न होती थीं। इस दृष्टिकोण के कारण डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील।

10. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की आलोचना करते हुए श्री पी. पी. राव जो अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं, द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, कि नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय की नियम 5 (1) के तहत सिफारिशों पर राज्यपाल द्वारा की गई थीं और इसलिए, उन्हें नियमित नियुक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि 1958 के नियमों के नियम 5 (2) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश राज्यपाल द्वारा जारी नियुक्ति आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति आदेश की प्रकृति नियुक्ति के क्रम में उल्लिखित नियमों और शर्तों के संदर्भ में निर्धारित की जानी है।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि राज्यपाल का अनुमोदन का आदेश एक सामान्य आदेश है जिसमें अपीलार्थियों सहित 36 नाम शामिल हैं और इसमें यह उल्लेख नहीं है कि उनमें से किसी को भी त्वरित न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया है। यह है।

उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को राज्यपाल द्वारा नियमों के तहत स्थानांतरण पर सेवा के जिला/सत्र न्यायाधीशों ग्रेड II के पद पर नियुक्त किया गया था, और उच्च न्यायालय द्वारा फास्ट ट्रैक न्यायालयों में तैनात किया गया था। श्री राव द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब वैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं, तो इसका गठन अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में नहीं किया जा सकता है कि उस आदेश से उनका मतलब था या उनके दिमाग में क्या था, या उनका क्या करने का इरादा था। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने बॉम्बे के आयुक्त बनाम गोवर्धनदास भंजी और एम. एस. गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त निर्भरता रखी है। यह आगे तर्क दिया गया है कि नियुक्ति प्राधकरण के लिये तदर्थ आधार पर सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.03.2001 सपठित 2001 के नियम के तहत स्वीकृत पदों के विपरीत प्रति माह रु. 10,000 / के समेकित वेतन पर फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए कुछ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को तदर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए खुला था। नियुक्ति प्राधिकरण के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों का जिला और सत्र न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग, सेवा की श्रेणी II में स्थानांतरण द्वारा भर्ती करने और उसके बाद उनमें से कुछ को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नियुक्त करने के लिये भी खुला था, लेकिन नियुक्ति प्राधिकरण ने अपने विवेक से जिला और सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग श्रेणी II में अपीलार्थियों की स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के दूसरे विकल्प का लाभ उठाया और उनमें से कुछ को संवर्ग में नियमित पदों पर और अन्य को फास्ट ट्रैक न्यायालय में तैनात किया गया और इसलिए, वे

निरंतर सेवा की वरिष्ठता के लाभ के हकदार हैं। संक्षेप में, निवेदन यह है कि नियुक्ति की प्रकृति 1958 के नियमों के तहत है न कि 2001 के नियमों के तहत, जिसके परिणामस्वरूप तदर्थ नियुक्ति की अवधारणा उत्पन्न नहीं होती है।

12. श्री राव ने आगे कहा कि एक विराम-अंतराल व्यवस्था की यह प्रकृति इतनी लंबी अवधि तक जारी नहीं रही होगी और अभिलेख पर लाई गई सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। उक्त उद्देश्य के लिए उन्होंने डी. आर. निम बनाम भारत संघ में संविधान पीठ के निर्णय में हमारी सराहना की है।. यह उनका आगे का निवेदन है कि यदि किसी भी कारण से पद पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में देरी के कारण उत्पन्न आकस्मिकता को पूरा करने के लिए कोई नियुक्ति की जाती है और तब तक पद को खाली छोड़ना संभव नहीं है, और इस आकस्मिकता को पूरा करने के लिए एक नियुक्ति की जाती है तो इसे उचित रूप से स्टॉप-गैप व्यवस्था और तदर्थ नियुक्ति के रूप में पद पर नियुक्ति कहा जा सकता है। उक्त बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने रुद्र कुमार सैन बनाम भारत संघ पर भरोसा किया है। नियम 6 में प्रयुक्त भाषा पर प्रकाश डालते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह तर्क दिया कि वरिष्ठता का निर्धारण उस तारीख के संदर्भ में किया जाना चाहिए जब से एक अधिकारी श्रेणी II में लगातार सेवा में है और जैसा कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या3 से 7 से पहले बिना किसी विराम के जारी रखा है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को राहत नहीं देने में गलती की है। इस संबंध में उन्होंने वी. भास्कर राव और अन्य बनाम ए. पी. राज्य और अन्य और प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग अधिकारी संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य से प्रेरणा ली है।

13. श्री परासरन, प्रतिवादी नं. 1 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता, यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी नियमित रिक्तियों में सीधे भर्ती होने वाले उत्तरदाताओं पर वरिष्ठता के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें फास्ट ट्रैक न्यायालयों में सृजित की गई रिक्तियों के

संदर्भ में तदर्थ क्षमता में नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि विवाद प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन (ऊपर) और देबब्रत दास बनाम जतिंद्र प्रसाद दास में निर्णय द्वारा कवर किया गया है और वी. भास्कर राव (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि, श्री. परासरन प्रस्तुत करते हैं, अपीलार्थियों को उनके संवर्ग में किसी भी रिक्ति के खिलाफ पर्याप्त रूप से नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए, उनके मामले को प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन (ऊपर) में संविधान पीठ के निर्णय और देबब्रत दास (ऊपर) में घोषणा द्वारा शासित किया जाएगा। यह उनका निवेदन है कि छह रिक्तियां आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा में उप-न्यायाधीशों और प्रत्यर्थी संख्या से स्थानांतरण/पदोन्नति के माध्यम से भरी गईं और अपीलार्थी संख्या 3 से 7 को सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था जब उनके कोटे में रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं लेकिन अपीलार्थियों को उक्त रिक्तियों के संबंध में बिंदु से पहले किसी महत्वपूर्ण पद के संबंध में कभी नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए, उन पर वरिष्ठता का दावा गलत है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने नियम 6 के तहत अपीलार्थियों के लाभ लेने के दावे का गम्भीरता से विरोध किया है जो निरंतर सेवा पर वरिष्टा का दावा करता है। यह तर्क दिया गया है कि फास्ट ट्रैक न्यायालय एक अलग चरित्र के थे और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित किए गए थे और उक्त न्यायालयों के संबंध में नियुक्तियाँ अपीलार्थियों को वरिष्ठता का लाभ प्रदान नहीं कर सकती हैं। उन्होंने उप-समिति की रिपोर्ट जिसे रिकॉर्ड में लाया गया है, के निष्कर्षों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्णय का समर्थन किया है ।

14. श्री गुरुकृष्ण कुमार, उत्तरदाता संख्या 3 से 7 के लिये उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि यदि 2001 के नियमों की उचित परिप्रेक्ष्य में जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि फास्ट ट्रैक अदालतों को चलाने के लिए जिला और सत्र

न्यायाधीशों के तदर्थ पद ए. पी. उच्च न्यायिक सेवाओं के संवर्ग के बाहर के पद हैं और न तो ए. पी. उच्च न्यायिक सेवाओं का हिस्सा हैं और न ही इसके भीतर रचितहैं, और इसलिए, अपीलार्थी उक्त नियमों के तहत नियुक्त होने के लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं। यह उनका आगे का निवेदन है कि इसे उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड-II के रूप में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों में से अस्थायी आधार पर पदों को भरने के लिए एक गलत प्रस्ताव के रूप में मानते हुए, जो वास्तव में मदद नहीं करते हैं, उक्त प्रस्ताव भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक अन्य अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर एक और रिक्ति के साथ जिला & सत्र न्यायाधीश, ग्रेड-11 की श्रेणी में छह नियमित रिक्तियां हैं। इस प्रकार, श्री गुरुकृष्ण कुमार प्रस्तुत करते हैं, अपीलकर्ताओं को 2001 के नियमों के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों में नियुक्त किया गया था और प्रत्यर्थियों को 1958 के नियमों के तहत नियुक्त किया गया था और इसलिए, प्रत्यर्थियों की वरिष्ठता, जो प्रत्यक्ष भर्ती हैं, को 21.8.2002 से प्रभावी माना जाना चाहिए, जिस तारीख को उन्होंने उनकी नियुक्ति के फलस्वरूप प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट किया था। उनके द्वारा यह दर्शाया गया है कि बृज मोहनलाल द्वितीय बनाम भारत संघ में प्राधिकरण के अनुसार, फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गये थे और उन्हें ऐसी नियुक्ति से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि देवब्रत दास (ऊपर) में घोषणा अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन में ताबूत में अंतिम कील है और, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय स्वीकार किए जाने का हकदार है।

15. बार में उठाये गये प्रतिद्वंदियों की प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिये, जिन्हें चतुराई से प्रचारित किया गया है, मुकदमेबाजी की वास्तविक बुनियाद को प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। 11 वें वित्त आयोग ने लम्बे समय से लम्बित मामलों विशेषकर सत्र मामलों से निपटने के लिये विभिन्न राज्यों में 1734 नुयायालय स्थापित करने के

उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत 502.90 करोड रुपये आवंटित किये। धन राशि वित्त आयोग द्वारा आवंटित की जानी थी जिसमें पाँच वर्ष की अवधि के भीतर एक समयबद्ध उपयोग निर्धारित किया था और राज्य सरकारों से ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की गई थी। वित्त आयोग ने कहा कि राज्य सीमित अवधि के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं क्योंकि ये न्यायालय इस अर्थ में तदर्थ थे कि किसी विशेष राज्य के भीतर न्यायालयों का कोई स्थायी जोड़ नहीं होगा। उच्च न्यायालयों ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए त्वरित अदालत योजना तैयार की। विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुछ मुकदमे दायर किए गए और अंततः मामले स्थानांतरित होने के बाद मामला और अन्यथा बृज मोहन लाल 1 बनाम भारत संघ में भी इस न्यायालय में चला गया। इस न्यायालय के समक्ष इस बात पर प्रकाश डाला गया कि योजना को वास्तविकता बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। यह भी अनुरोध किया गया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के बजाय बार के योग्य सदस्यों की नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। यह कथन कर दिया जाए, फास्ट ट्रैक अदालत योजना की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई थी। अदालत ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ में अधिकरन को संदर्भित करने के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ निर्देश जारी किए। कुछ प्रासंगिक निर्देशों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक हैः

> "1. फास्ट ट्रैक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पहली प्राथमिकता योग्य न्यायिक अधिकारियों में से तदर्थ पदोन्नति द्वारा दी जानी है। ऐसा पदोन्नति देते समय, उच्च न्यायालय

उच्च/उच्च न्यायिक सेवाओं में ऐसे पदों पर पदोन्नति के मामले में लागू प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

XXXXXXXXX

14. योजना के तहत तदर्थ आधार पर अपनी नियुक्ति के आधार पर न्यायिक अधिकारियों को किसी भी नियमित पदोन्नति का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक अदालतों में दी जाने वाली सेवा को मूल संवर्ग में दी जाने वाली सेवा माना जाएगा। यदि किसी न्यायिक अधिकारी को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में उनके कार्यकाल के दौरान मूल संवर्ग में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है, तो फास्ट ट्रैक न्यायालयों में दी जाने वाली सेवा को ऐसे उच्च श्रेणी में सेवा माना जाएगा।

XXXXXXXXX

18. उच्च न्यायालय और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक फास्ट ट्रैक न्यायालयों का संबंध है, वहां कोई रिक्ति न हो और उस संबंध में आज से तीन महीने के भीतर इसमें आवश्यक कदम उठाए जाएं। दूसरे शब्दों में, निर्धारित समय के भीतर सभी फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।"

16. बृज मोहनलाल-I (ऊपर) में दिए गए निर्देशों का बृज मोहनलाल-द्वितीय (ऊपर) में विश्लेषण किया गया था। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देशों की जांच करते हुए कहा कि एफ. टी. सी. में नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जानी थी। इसमें यह देखा गया है कि भर्ती के तीन स्रोत हैं। सबसे पहले, योग्य न्यायिक अधिकारी में से पदोन्नति के माध्यम से, दूसरा, अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की

नियुक्ति और अंत में 35 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बार के सदस्यों में से सीधी भर्ती द्वारा। अंतिम श्रेणी में, चयन उच्च न्यायिक सेवाओं में भर्ती के समान तरीके से किया जाना था। न्यायालय ने आगे कहाः

> "इस न्यायालय ने त्वरित न्यायालय योजना (एफ टी सी) के बंद होने की सम्भावना को भांप लिया था। मूल संवर्ग में प्रस्तुत किया गया। इसने निर्देश दिया कि एफ टी सी में सेवा को मूल संवर्ग में न्यायिक अधिकारियों द्वारा पदोन्नति पर दी गई सेवा माना जायेगा। हालांकि, जमा नहीं होगा ऐसी भर्तियों पर नियमित पदोन्नति के लिए निचली न्यायपालिका से तदर्थ आधार पर पदोन्नत/तैनात ऐसी नियुक्ति के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए, सेवा में निरंतरता उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा पर निर्भर होगी और उनकी सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर इसमें शामिल होने की संभावना हो सकती है। इन दो पहलुओं के अलावा, इन निर्देशों में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा एफ. टी. सी. के प्रबंधन, धन के समय पर और उचित उपयोग और एफ. टी. सी. के सुचारू संचालन की निगरानी के बारे में भी बताया गया है; मामलों के निपटारे की निगरानी उच्च न्यायालय द्वारा नामित प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा की जानी थी। यह उम्मीद की गई थी कि प्रत्येक एफ. टी. सी. में कम से कम एक लोक अभियोजक होगा। दोनों स्थानांतरित मामले निस्तारित करते समय बृज मोहन लाल मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों यह का योग और सार था।"

17. उक्त मामले में मूल प्रार्थना एफ. टी. सी. के विस्तार से संबंधित थी। न्यायालय ने न्यायिक शक्ति और कई अन्य पहलुओं के प्रयोग में नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप से संबंधित विभिन्न उदाहरणों और पहलुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि:

> "172. नियमित संवर्ग में उपस्थित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त याचिकाकर्ताओं की सेवा के नियमितकरण और अवशोषण के लिए प्रार्थना न केवल उड़ीसा राज्य के मामले से जुड़े मामलों में, बल्कि अन्य राज्यों में भी की गई है। सेवा में अवशोषण एक अधिकार नहीं है। नियमितीकरण विभिन्न पदों पर विभिन्न नियमों के तहत नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तनीय एक वैधानिक या कानूनी अधिकार भी नहीं है। नियमितीकरण किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ ऐसे वर्ग के व्यक्तियों पर लागू प्रासंगिक नियमों पर निर्भर करेगा।
>
> XXXXXXXX
>
> 175. आंध्र प्रदेश राज्य के याचिकाकर्ताओं ने भी समान राहत के लिए प्रार्थना करते हुए दावा किया कि नियमित संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए जारी किए गए विज्ञापन दिनांक 28-5-2004 को रद्द कर दिया जाना चाहिए और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और इसके बजाय याचिकाकर्ताओं को उन रिक्तियों के विरुद्ध अवशोषित किया जाना चाहिए। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम इन प्रस्तुतियों में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं।
>
> 176. हम पहले ही देख चुके हैं कि एफ. टी. सी. न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियमित नियुक्ति को नियंत्रित

करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के एक अलग समूह के तहत की गई थी। यह यह स्पष्ट रूप से निर्धारित हो चुका है कि ऐसी नियुक्तियां तदर्थ और अस्थायी होंगी और ऐसी नियुक्तियों से नियुक्त व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।"

18. दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ नियम और शर्तों पर एफ. टी. सी. की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीशों के रूप में बार से सीधी भर्तियों को नियमित करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद से एफ. टी. सी. जज के रूप में पदोन्नत किए गए उम्मीदवारों के संबंध में भी कुछ निर्देश दिए गए थे, जिनके पास नियम स्थिति और कुछ अन्य शर्तों के अधीन उच्च न्यायिक सेवा में अवशोषित होने और पदोन्नत रहने के अधिकारी होने के लिये सेवा में आवश्यक अनुभव था।

19. उपरोक्त दो प्राधिकरणों से यह स्पष्ट है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों के संबंध में नियुक्तियां तदर्थ प्रकृति की हैं और ऐसी नियुक्ति के आधार पर नियमित पदोन्नति के लिए निचली न्यायपालिका से तदर्थ आधार पर पदोन्नत/तैनात ऐसी भर्तियों को अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफ. टी. सी. न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियमित नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के एक अलग समूह के तहत की गई थी।

20. अब हम आंध्र प्रदेश राज्य में न्यायिक सेवा में नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए गए आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1958 (संक्षेप में, 1958 नियम) द्वारा शासित है और उक्त नियम 10.10.1958 से लागू हो गए हैं। नियम 1 के अनुसार, सेवा में दो श्रेणियां

होंगी। श्रेणी 1 जिला और सत्र न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी से संबंधित है और श्रेणी 2 जिला और सत्र न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी से संबंधित है। नियम 2 नियुक्ति का प्रावधान करता है। उक्त नियम, जिस पर विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"नियम 2: नियुक्तिः

(क) श्रेणी । में नियुक्ति श्रेणी ॥ से पदोन्नति द्वारा की जाएगी और श्रेणी ॥ में नियुक्ति की जाएगीः

(i) इनमें से हस्तांतरण द्वाराः

आंध्र राज्य न्यायिक सेवा में उप-न्यायाधीश; या हैदराबाद राज्य में न्यायिक सेवा; और

(ii) बार से सीधी भर्ती द्वाराः

बशर्ते कि स्थायी पदों की कुल संख्या का 33 1/3% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए भरा या आरक्षित किया जाएगा।

व्याख्याः स्थायी पदों की कुल संख्या के 33 1/3 प्रतिशत के निर्धारण में, आधे से अधिक अंशों को एक गिना जाएगा और अन्य अंश की उपेक्षा की जाएगी।

(ख) सभी पदोन्नति योग्यता और क्षमता के आधार पर की जाएगी, वरिष्ठता पर तभी विचार किया जाएगा जब योग्यता और क्षमता पर लगभग बराबर ध्यान दिया जाए।"

21. नियम 3 योग्यता का प्रावधान करता है। नियम 4 परिवीक्षा से संबंधित है। नियम 5 (1) में कहा गया है कि सभी पहली नियुक्तियां

और जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी की श्रेणी में प्रत्यावर्तन के तहत व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। नियम 5 (2) में प्रावधान है कि सेवा में पहली नियुक्तियों या पुनर्नियुक्ति और स्थानांतरण के अलावा सभी पोस्टिंग को उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। नियम 6 वरिष्ठता से संबंधित है। इसे निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है:

"श्रेणी । या श्रेणी ॥ में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण उस तारीख के संदर्भ में किया जाएगा जिससे वह उस श्रेणी में लगातार ड्यूटी पर हो सकता है।"

22. तत्काल मामले में, हम किसी अन्य नियम से संबंधित नहीं हैं। 2001 के नियम तदर्थ नियुक्तियों के लिए विशिष्ट नियम हैं। 2001 के नियमों का नियम 7 (1) (बी) इस प्रकार है:

"नियम 2 (i) के तहत नियुक्त व्यक्ति को आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा, 1958 के लिए विशेष नियमों के नियम 2 के तहत आने वाले स्थायी संवर्ग का सदस्य नहीं माना जाएगा और इस सेवा या किसी अन्य सेवा और उनकी सेवा में किसी अन्य नियुक्ति के लिए किसी भी तरजीही अधिकार के हकदार नहीं होगाऔर उनक़्की सेवा को राज्य सरकार के अधीन नियमित या स्थायी नहीं माना जाएगा और न ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के लिए विशेष नियम, 1958 या आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम, 1962 के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए कोई रोक होगी।"

चूंकि तथ्य स्थिति उजागर होगी, नियमित संवर्ग में छह रिक्तियां थीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना की शुरुआत के कारण, तदर्थ आधार पर पदोन्नति के रास्ते उपलब्ध हो गए। बृज मोहनलाल-I (ऊपर) और बृज मोहनलाल-II (ऊपर) की स्थितियाँ इसे बिल्कुल स्पष्ट करती हैं। अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राव का निवेदन है कि अपीलार्थियों को 1958 के नियमों के तहत नियुक्त किया गया था जैसा कि नियुक्ति पत्र से पता चलेगा और पूरी बात नियुक्ति पत्र पर निर्भर करेगी, न कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों पर। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार किसी रिक्ति के संबंध में तदर्थ आधार पर नियुक्त है, तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती से वरिष्ठ माना जाएगा। दोनों प्रस्तुतियाँ, जैसा कि हम समझते हैं, आपस में बुनी हुई हैं लेकिन उसी का एकवचन उत्तर "मौलिक रूप से गलत" होगा।

23. देबब्रत दास (ऊपर) में, लगभग इसी तरह की स्थिति में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ओ. पी. सिंगला बनाम भारत संघ के एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया।

> "21. ..... यह नियम दर्शाता है कि दो शर्तें सह-अस्तित्व में होनी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति सेवा का सदस्य बन सके। सबसे पहले, उनकी नियुक्ति एक महत्वपूर्ण क्षमता में होनी चाहिए और दूसरी बात, नियुक्ति सेवा में, यानी सेवा में किसी पद पर होनी चाहिए। सेवा में शामिल पदों के समान पदनाम पद धारण करने वाले व्यक्ति , केवल इसी कारण से, सेवा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। यह केवल तभी होता है जब उन्हें सेवा में किसी पद पर एक महत्वपूर्ण क्षमता में नियुक्त किया जाता है, कि वे सेवा के सदस्य बन जाएँ।"

24. उक्त अनुच्छेद का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा किः

"1963 के नियमों के नियम 3 (डी), 4,5,7,8 और 9 में ऐसा कोई संदेह का तरीका नहीं है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा का सदस्य तभी बन सकता है जब उसकी नियुक्ति सेवा में एक पद पर की गई हो। यदि वरिष्ठ शाखा सेवा के संवर्ग में पदोन्नति द्वारा कोई रिक्ति नहीं भरी जानी है, तो सेवा में किसी भी नियुक्ति का कोई का प्रश्न ही नहीं है। सेवा की सदस्यता उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्हें सीधे भर्ती और पदोन्नति द्वारा संवर्ग संख्या के भीतर नियुक्त किया जाता है।"

25. इसके बाद, अदालत ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन (उपरोक्त) में संविधान पीठ के निर्णय को संदर्भित किया और कानूनी स्थिति में आने के बाद (खंड ए, बी और सी) इस प्रकार कहाः

"खंड (4) में निर्देश का सार यह है कि किसी नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता को उसकी नियुक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए, न कि नियमों के अनुसार किसी पद पर भर्ती होने के बाद उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार। दूसरे शब्दों में, जहाँ प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ होती है और नियमों के अनुसार नहीं होती है और एक विराम व्यवस्था के रूप में की जाती है, ऐसे पद में कार्यपालन को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।"

26. यह ध्यान दिया जाए कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रुद्र कुमार सैन (उपरोक्त) में प्राधिकरण को संदर्भित किया, वहां से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया और राय दी कि हालांकि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक अनुच्छेद का हवाला दिया था, फिर भी इसे गलत तरीके से लागू किया।

27. उल्लेखनीय है कि, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम. अघोर नाथ डे में न्यायालय ने निष्कर्ष ए और बी में एक स्पष्ट विरोधाभास माना और इस प्रकार स्पष्ट करते हुए कहा गया हैः

> "19. प्रत्यक्ष भर्ती मामले में संविधान पीठ ने नरेंदर चड्ढा बनाम भारत संघ से निपटते हुए जोर दिया कि विचाराधीन पदोन्नत लोगों ने लगभग पंद्रह से बीस वर्षों की लंबी अवधि तक लगातार पदों पर बिना वापस किए काम किया था, और फिर आगे बढ़ते हुए यह सिद्धांत प्रतोपादित किया:
>
> 13. ..... इसलिए, हम सेवा में नियमित मूल नियुक्तियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार की गई नियुक्ति के बाद निरंतर पद पर बने रहने की अवधि को वरिष्ठता के आधार पर गणना के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं।
>
> 20. संविधान पीठ ने उपरोक्त सिद्धांत को इंगित करने के लिए, नरेंदर चड्ढा इस तरह से निपटा है कि, उस निर्णय को उन मामलों में लागू करने के लिए नहीं माना जा सकता है जहां प्रारंभिक नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं थी।"
>
> 22. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इन दोनों निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, और निष्कर्ष (बी) उन मामलों को शामिल नहीं कर सकता है जिन्हें निष्कर्ष (ए) द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इसलिए, हम पहले निष्कर्ष (ए) का उल्लेख कर सकते हैं। निष्कर्ष (ए) से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिना जा सके और पुष्टि की तारीख के

अनुसार नहीं, पद के पदधारी को शुरू में 'नियमों के अनुसार' नियुक्त किया जाना चाहिए। निष्कर्ष (ए) में निर्धारित परिणाम यह है कि 'जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है और एक विराम व्यवस्था के रूप में की गई है, ऐसे पदों में कार्यपालन वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है'। इस प्रकार, निष्कर्ष (ए) में उपसंहार स्पष्ट रूप से उन मामलों की श्रेणी को बाहर करता है जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं, केवल एक विराम व्यवस्था के रूप में की जा रही है। रिट याचिकाकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से निष्कर्ष (ए) में इस परिणाम के अंतर्गत आता है, जो कहता है कि वरिष्ठता की गिनती के लिए ऐसे पदों पर कार्यपालन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

***

26. ..... स्वीकार्य रूप से, नियम 11 में इस स्पष्ट आवश्यकता का पालन या बाद में पूरा नहीं किया गया था, और इसलिए, प्रारंभिक तदर्थ नियुक्तियों को लागू नियमों के अनुसार नहीं माना जा सकता है। ये तदर्थ नियुक्तियाँ स्पष्ट रूप से नियमों के अनुसार नहीं थीं, और केवल निश्चित अवधि के लिए एक ठहराव व्यवस्था के रूप में की गई थीं, जैसा कि नियुक्ति आदेश में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है।"

28. हरियाणा राज्य बनाम विजय सिंह में, यह मुद्दा राज्य सरकार द्वारा नियमित किए गए वरिष्ठता नियमों का उल्लंघन करते हुए तदर्थ प्रारंभिक नियुक्ति की पृष्ठभूमि में वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में उभरा। न्यायालय ने इस तथ्य की स्थिति

की सराहना करते हुए माना कि उस तदर्थ अवधि को वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।

29. हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे यदि हम अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राव द्वारा उद्धृत प्राधिकारों का उल्लेख नहीं करते हैं। उन्होने ओ. पी. सिंगला (ऊपर) के एक अंश के लिए हमारी सराहना की। वह इस प्रकार हैः

> "वरिष्ठता के मामले में, यह सराहना करना मुश्किल है कि वरिष्ठता के मामले में, सीधी भर्तीके जो नियम 5 (2) के तहत उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की जाती है और जो नियम 16 और 17 के तहत सेवा में पदों पर उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किये गये बीच कोई भी भेद दिया जा सकता है नियम 16 सेवा में अस्थायी पदों पर पदोन्नति की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जबकि नियम 17 पदोन्नति की सेवा में मूल रिक्तियों पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्ति का प्रावधान करता है। इन दोनों नियमों में से किसी एक के तहत सेवा में नियुक्त होने वाले पदोन्नतियों को नियम 5 (2) के तहत नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों के समान वर्ग से संबंधित माना जाना चाहिए। वे समान कार्य करते हैं, समान कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और प्रत्यक्ष भर्तियों के समान जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उन्हें सेवा में नियमित रूप से इन पदों पर उसी तरीके से नियुक्त किया जाता है जैसे प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्ति की जाती है, एकमात्र अंतर यह है कि जहां परवर्ती को उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, पदोन्नति प्राप्त लोगों को उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। इसलिए, वरिष्ठता सूची में उनकी नियुक्ति के मामले में एक तरफ सीधी भर्ती और दूसरी ओर, सेवा में नियुक्त पदोन्नति के

बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। सेवा में पदों पर नियुक्त होने वाले पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता सूची से बहिष्करण, चाहे वह नियुक्ति अस्थायी पदों के लिए हो या अस्थायी क्षमता में पर्याप्त रिक्तियों के लिए, समानता नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि इस प्रकार, जो व्यक्ति समान रूप से स्थित हैं, उनके साथ ऐसे मामले में समान व्यवहार नहीं किया जाएगा जो उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है।"

30. उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित सिद्धांत, हमें डर है, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की सहायता नहीं करता है। यह बस इसलिये है क्योंकि अपीलार्थियों को मूल रिक्तियों के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। ओ. पी. सिंगला (ऊपर) में बहुमत की राय में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिस पर देवब्रत दास (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भरोसा किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, रुद्र कुमार सैन (ऊपर) में निर्णय पर बहुत अधिक निर्भर थे। उसी के अवलोकन पर, हम इसे यहाँ उत्पन्न हुए मुद्दे के लिए दूर से सहायक नहीं पाते हैं। अपीलार्थी जो नियुक्ति पत्र को नजरअंदाज करते हुए केवल आशय पत्र में उपयोग किए गए शब्दों के आधार पर मामले की संरचना करने के इच्छुक हैं, हम यह कहने के लिए विवश हैं, कि वे अनावश्यक क्षीण आशा के दायरे में बने रहने के लिए बाध्य हैं। फास्ट ट्रैक की शुरुआत न्यायालय योजना के कारण और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए 2001 के नियमों के तहत उनका पदोन्नयन हुआ। वे एक योजना के लाभार्थी थे। योजना के तहत पद पर बने रहने के दौरान, संवर्ग में नियमित पद खाली हो गए और उन्हें नियमित किया गया, लेकिन इससे पहले, उत्तरदाताओं को उनके कोटे में मूल पदों के संबंध में सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थियों को, हमारी सुविचारित राय में, भेद को स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए था। लेकिन

पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर-विवाद एक निरंतर मामला प्रतीत होता है। ओ. पी. सिंगला (ऊपर) में, वाई. वी. चंद्रचूड, मुख्य न्यायाधिपति ने कहा थाः

> "पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच परिचित विवाद पर कई निर्णय लिए जाते हैं और यह एक और होगा। शायद, बस एक और।"

31. हम उक्त प्यारी आशा को साझा करते हैं।

32. नतीजतन, अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज की जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।